

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, RAS)

राजस्व वाद संख्या 76/2021

अन्तर्गत धारा 88, 188, 207 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. बाबूसिंह पुत्र प्रेमसिंह 2. सवाईसिंह पुत्र प्रेमसिंह 3. सुजानसिंह पुत्र प्रेमसिंह 4. निम्बूकंवर पत्नी प्रेमसिंह 5. जामकंवर पत्नी मानसिंह 6. तनसिंह पुत्र उत्तमसिंह जाति नागणासर, निवासी नागणासर तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. नीम्बूसिंह पुत्र हड़वंतसिंह 2. इन्द्रों पत्नी हड़वंतसिंह 3. नरपतसिंह पुत्र अमेदसिंह 4. बालसिंह पुत्र अमेदसिंह 5. जेठमालसिंह पुत्र अमेदसिंह 6. दरियाकंवर पत्नी अमेदसिंह जाति राजपुत, निवासी नागणासर तहसील शिव, जिला बाड़मेर 7. कसुम्बीदेवी पत्नी किरपाराम 8. पारुदेवी पत्नी सालुराम जाति जाट, निवासी नागणासर तहसील शिव, जिला बाड़मेर 9. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शिव 10. शाखा प्रबंधक, राजस्थान ग्रामीण बैंक, शिव 11. शाखा प्रबंधक, एस.बी.आई. शिव 12. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

- उपस्थित :- 1. अधिवक्ता वादीगण - श्री नरेन्द्रसिंह सियाग
 2. अधिवक्ता प्रतिवादीगण - श्री देवीलाल कुमावत



--:: निर्णय ::--

दिनांक : 24.06.2024

वादीगण के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादीगण की मौजा नागणासर, तहसील शिव में खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 267/66 रकबा 15.0543 हैक्टेयर तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 266/66¹ रकबा 35.9360 हैक्टेयर आये हुए है। उक्त विवादित आराजी मूल खसरा नम्बर 66 के विभक्त खसरा नम्बर है। उक्त मूल खसरा नम्बर का तहसीलदार के समक्ष स्टाम्प पेश कर विभाजन किया हुआ है, जिसके साथ किसी प्रकार का नक्शा पेश नहीं किया गया है तथा वर्तमान में खातेदार अपने आपसी सहमति व मौखिक विभाजन अनुसार काबिज काशत हैं। उक्त मूल खसरा नम्बर 66 के राजस्व रेकॉर्ड के लट्ठा नक्शा में तरमीम हाल ही में अंकित की गई है। वर्तमान में लट्ठा नक्शा में राजस्व कर्मचारियों द्वारा तरमीम अंकित की गई। उक्त तरमीम राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना मौका निरीक्षण किये पक्षकारान् के मौके पर कब्जा काशत के विपरीत कर दी गई है, जिसे वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रेकॉर्ड के लट्ठा नक्शा एवं मौके पर कब्जा काशत में भिन्नता होने से कब्जा काशत प्रभावित हो रहा है। वर्तमान में उक्त त्रुटिपूर्ण तरमीम के आधार पर प्रतिवादीगण, वादीगण को उनके कब्जा काशत से बेदखल करने पर आमादा है। अतः उक्त विवादित आराजी में वादीगण द्वारा वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त करवाकर मौका स्थिति की रिपोर्ट एवं वास्तविक मौका स्थिति अनुसार सही तरमीम दुरस्ती की घोषणा करवाने के अधिकारी होने से उक्त वाद घोषणा हेतु पेश किया गया है।

वाद पंजीयन किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाबदावा प्रस्तुत नहीं करते हुए मौके पर कब्जा काशत अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई। शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित। तहसीलदार शिव से विवादित आराजी के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर समस्त प्रभावित खातेदारान् को

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव



सूचित किया जाकर मौका निरीक्षण किया गया। मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित होकर मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत सहमति प्रदान की गई। उक्त तरमीम दुरस्ती वादीगण के पक्के रहवाशी मकान व मलकूम आदि को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित की गई है, जिस हेतु पक्षकार सहमत है तथा उक्त तरमीम दुरस्ती से प्रभावित खसरा नम्बर 266/66 व 267/66 के रकबा में किसी प्रकार का अंतर नहीं रहेगा।

वादीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वाद के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी के खसरा नम्बर 266/66 व 267/66 की विद्यमान तरमीम को निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने की घोषणा प्रदान की जाकर डिक्री पर्चा जारी किया जावे। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा वादीगण अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए वाद स्वीकार किया जाकर तदनुसार तरमीम दुरस्ती की घोषणा बाबत सहमति प्रदान की गई।

हमने वाद के तथ्यों पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। चूंकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण विवादित आराजी के रेकर्डेड खातेदार है एवं वादीगण द्वारा वर्तमान लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर मौके पर पक्षकारान् के कब्जा काश्त अनुसार खातेदारी की तरमीम घोषणा हेतु वाद पेश किया गया है। उक्त विवादित आराजी की तरमीम दुरस्ती की घोषणा के संबंध में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती की घोषणा किये जाने बाबत उभयपक्ष प्रभावित खातेदारान् द्वारा स्वीकार किया जाकर सहमति प्रदान की गई है। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा भी अपनी बहस में वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती की घोषणा बाबत सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में वादग्रस्त आराजी में वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर तदनुसार तरमीम दुरस्ती की घोषणा किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा नागणासर, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 267/66, 266/66 रकबा क्रमशः 15.0543, 35.9360 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती की घोषणा की जाती है। तहसीलदार शिव को उपरोक्तानुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड के लट्ठा नक्शा में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।



निर्णय आज दिनांक 24.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

24
सहायक कलेक्टर
(SDO) शिव

24
सहायक कलेक्टर
(SDO) शिव